तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 150 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता, पता ए रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.08.2017 में उसके द्वारा (1) भोपालचन्द लोढा के मकान ए रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर के सामने स्थित मकान रहवासीय के मालिक रमेश वर्मा मालिक मै0 वर्मा सेल्स कॉ. के रहवासीय मकान में व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति से संबंधित के आवेदन, नक्शा व निगम कार्यालय के स्वीकृति आदेश निर्माण की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि पश्चात् संबंधित को अग्रेषित किया व आज दिनांक तक सूचना नहीं मिली, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील में जाहिर किया कि उसका प्रार्थना पत्र समयावधि के बाद संबंधित को अग्रेषित किया जो अधिनियम की धारा 6(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः समायावधि बाद आवेदन अग्रेषित करने के कारण अब लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम जोधपुर न होकर स्वयं का दायित्व बना लिया है अतः संबंधित से सूचना मय दस्तावेज प्राप्त कर देने का आदेश दिलाया जाय। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1437 दिनांक 16.10.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर नगर निगम जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर निगम जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 1168 दिनांक 01.09.17 को अंतरित करते हुए प्रार्थी को भी सूचनार्थ प्रति पृष्ठांकित की गई। चूंकि दिनांक 08.08.17 से दिनांक 27.08.17 तक कार्यालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश पर भी रहे अतः मात्र तकनिकी बिन्दु के आधार पर यह कथन मानने योग्य नहीं है कि 5 दिन पश्चात् संबंधित लोक सूचना अधिकारी (आयुक्त नगर निगम जोधपुर) को प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरित करने में त्रुटि किये जाने से वहां से सूचना प्राप्त कर प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा अपीलार्थी को दिये जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। चाही गई सूचना से संबंधित लोक सूचना अधिकारी (आयुक्त नगर निगम जोधपुर) अपीलेट अधिकारी (महापौर नगर निगम जोधपुर) का कार्यालय स्थानीय ही है अतः अपीलार्थी उक्त सूचना प्राप्त करने के लिए अब भी गंभीर है तो लोक सूचना अधिकारी (आयुक्त नगर निगम जोधपुर) का अपीलीय अधिकारी महापौर, नगर निगम जोधपुर होने से उनके समक्ष अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है, परिणामस्वरूप यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	